

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 141252 पटना,

दिनांक 06/03/13.

गा0वि0-5/इ0आ0यो0(वि0पैकेज)-102-06/2013

प्रेषक,

अमृत माल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत विशेष पैकेज (कालाजार 2006-07, कालाजार 2008-09, कोशी बाढ़ 2008-09 एवं नक्सल 2008-09) के तहत स्वीकृत किये गये आवासों को पूर्ण कराने के साथ-साथ इस मद में उपलब्ध कराये गये निधि का Settlement कराने के संबंध में ;

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयाधीन विशेष पैकेजों के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधि का उपयोग के संबंध में उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों में तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के क्रम में आपके साथ विस्तृत समीक्षा की गई है तथा स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं । विभागीय पत्रांक-124525 दिनांक-28.09.12 पत्र संख्या-136258 दिनांक-23.01.13 एवं 136741 दिनांक-29.01.13 द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया जा चुका है कि विशेष पैकेजों के अंतर्गत जिस लक्ष्य के विरुद्ध जिलों द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है उस पर अब स्वीकृति नहीं दी जाय क्योंकि वर्तमान दर पर विशेष पैकेज के नई इकाईयों की स्वीकृति देने से अतिरिक्त वित्तीय दायित्व का सृजन हो जायेगा, अतएव जिन मामलों में स्वीकृति हो गयी है उन आवासों को तात्कालीन इकाई लागत पर पूर्ण कराया जाय । विशेष पैकेजों के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधि का Settlement कराने के उद्देश्य से यह भी निदेश दिया गया था कि हर हाल में स्वीकृत सभी आवासों को दिनांक 31.03.13 तक पूर्ण करा लिया जाय ।

इस प्रसंग में विभागीय पत्रों एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में यह भी निदेशित किया जाता रहा है कि जिन जिलों में विशेष पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के लिए यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो तो तत्काल सामान्य इंदिरा आवास की उपलब्ध राशि से ही लंबित दायित्व का भुगतान किया जाय अर्थात् विशेष पैकेजों के अंतर्गत उपलब्ध निधि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाना था । किन्तु विभागीय उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण इस मद में उपलब्ध कराये गये निधि का उपयोग कर Settlement नहीं हो पा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य के लिए विशेष पैकेजों के अंतर्गत स्वीकृत किये गये निधि का उपयोग एवं Settlement करने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है :-

- (i) विशेष पैकेज (कालाजार 2006-07, कालाजार 2008-09, कोशी बाढ़ 2008-09 एवं नक्सल 2008-09) के तहत अब कोई नई स्वीकृति नहीं दी जाय ।
- (ii) उक्त विशेष पैकेज के अंतर्गत पूर्व में जो स्वीकृति दी जा चुकी है उसे जिस दर पर स्वीकृत किया गया है उसी दर पर द्वितीय किस्त का भुगतान कर पूर्ण कराया जाय ।
- (iii) आवास पूर्ण कराने में जो दायित्व का सृजन हुआ है उतनी राशि रखकर निमार्णाधीन आवासों को दिनांक 31.03.13 तक पूर्ण कराया जाय ।
- (iv) दायित्व के अनुसार राशि रखकर अवशेष राशि को सामान्य इंदिरा आवास में हस्तांतरित कर दिया जाय ।

- (v) इससे संबंधित निम्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ यह प्रमाण पत्र भी दिया जाय कि रखी गयी राशि का उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक निश्चित रूप से कर लिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन दिनांक 15.03.2013 तक विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि विशेष पैकेज के मद में उपलब्ध करायी गयी निधि के Settlement कराने के संबंध में विभाग स्तर से भी अग्रोत्तर कार्रवाई की जा सके :-

प्रपत्र

जिला का नाम :-

विशेष पैकेज का नाम :-

क्र० सं०	विशेष पैकेज के मद में केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि	विशेष पैकेज के मद में राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि	बैंक से सूट के रूप में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	विशेष पैकेज के अंतर्गत व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	कितनी राशि का दायित्व है	अबतक कितनी राशि का समायोजन सामान्य इंदिरा आवास में किया जा चुका है	उपलब्ध निधि से अधिक राशि के व्यय की स्थिति में कितनी अतिरिक्त निधि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विश्वासभाजन

[Signature]
6.3.13
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव

जापांक 141252

पटना, दिनांक 06/03/13

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
6.3.13
सरकार के सचिव

जापांक- 141252

पटना, दिनांक- 06/03/13

प्रतिलिपि- श्री एस०आर० मेहर, अवर सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
6.3.13
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी